राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

एकलपीठ सिविल विविध स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या- 3194/2002
इन
एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या-455/2002
अनूप सिंह व अन्य बनाम झम्मन

दिनांक-**07.12.2009**

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री राजेन्द्र सोनी, अधिवक्ता- अपीलार्थीगण की ओर से

--

चूंकि मूल प्रथम अपील को प्रत्याहृत (Withdraw) किये जाने के कारण निरस्त किया जा चुका है, उक्त परिस्थितियों में यह स्थगन प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं रहता है।

फलत: स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)

अनिलशर्मा/-